क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		खातेदार अधिकारी अथवा भू-धारक द्वारा पेश किया जा सकता है, वादीगणों न तो विवादित भूमी खसरा नं. 1111 ग्राम बाढबागपुरा के खातेदार अधिकारी है, ना ही भू-धारक है ऐसी स्थिति में वाद धारा-89 राज. काश्त अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। अतः वादी का वाद धारा 89 राज. काश्त अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने एवं खातेदारी विलोपित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।